IDBI BANK
CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

सितम्बर ०१, २०१८

The Manager (Listing) BSE Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001	The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051

Dear Sir,

Notice of Postal Ballot

In terms of Regulation 30 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, we forward herewith a copy of the Notice of Postal Ballot being issued to the Members of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above intimation on record.

भवदीया,
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

ज्योति
1/09/18

[ज्योति नायर]
उप महा प्रबन्धक
बोर्ड विभाग

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005

फोन-(022) 66552779 / 66194058

ईमेल - idbiequity@idbi.co.in,वेबसाइट-www.idbi.com

डाक मतपत्र सूचना

प्रिय सदस्य (यो),

एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसरण में नीचे प्रस्तुत संकल्प को डाक मतपत्र के जरिए विशेष संकल्प के रूप में पारित करने का प्रस्ताव है:

"संकल्प किया जाता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 (1) (सी) और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हो, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949, बैंक के संस्था अंतर्नियम, सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 तथा अन्य लागू विधियों, यदि कोई हो, के अनुसरण में तथा अन्य सांविधिक/विनियामक प्राधिकरण के अनुमोदन,यदि कोई हो, जैसा कि इस संबंध में अपेक्षित हो, के अधीन और बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा ऐसे अनुमोदन प्रदान करने के लिए उनके द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों, शर्तों तथा संशोधनों के अधीन जिन पर बैंक का निदेशक मण्डल सहमत हो, बैंक के शेयरधारकों द्वारा बैंक के निदेशक मंडल को, सुसंगत तारीख 03 सितंबर 2018 को परिकलित की जानेवाली दर से, भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमान्य आबंटन के आधार पर प्रत्येक 10/- रुपये मूल्य के ऐसी संख्या में इक्विटी शेयर कि वह निर्गम पश्चात बैंक की प्रदत्त पूंजी का सकल 14.90% (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) हो, के लिए प्रस्तावित करने, निर्गमित करने और आबंटित करने तथा सेबी (आईसीडीआर) विनियमन, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार अधिमान्य आबंटन के अंतर्गत निर्गमित उक्त पूंजी को बैंक की वर्तमान समदत्त पूंजी में जोड़ने के लिए सदस्यों की सहमति दी जाए और एतद् द्वारा दी जाती है.

"यह भी संकल्प किया जाता है कि बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीज़ें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों, करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के एमडी एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतद् द्वारा प्राधिकृत किया जाता है."

बोर्ड के आदेश से

कृते **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

(बी. श्रीराम)

एमडी एवं सीईओ

डीआईएन 02993708

स्थान: मुंबई

दिनांक: 31 अगस्त 2018

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400 005,

Phone-(022) 66552779 / 66553062

e-mail :idbiequity@idbi.co.in, website-www.idbi.com

POSTAL BALLOT NOTICE

Dear Member(s),

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT pursuant to Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014, the Resolution appended below is proposed to be passed as Special Resolution by way of Postal Ballot:-

"RESOLVED THAT, pursuant to section 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013, the B.R. Act, 1949, Articles of Association of the Bank, SEBI (ICDR) Regulations, 2009 and other applicable law(s), if any and subject to approval of other statutory/regulatory bodies, if any, as may be required in this regard and subject to such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank, the consent of Shareholders of the Bank be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank to offer, issue and allot such number of equity shares of ₹ 10/- each, at a price to be calculated with reference to the Relevant Date of September 03, 2018 to Life Insurance Corporation of India aggregating upto14.90% of Bank's post issue paid-up capital (inclusive of premium amount, if any) on Preferential Allotment basis, in terms of the provisions of Chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the amount of said capital issued under the Preferential Allotment, to be added to the existing paid-up share capital of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

By Order of the Board,

For **IDBI Bank Limited**

Place : Mumbai

Dated : August 31, 2018

(B. Sriram)

MD & CEO

DIN 02993708

टिप्पणियां :

- डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट कारोबार के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अनुसरण में व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संलग्न हैं.
- यह सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी जा रही है जिनके नाम 24 अगस्त 2018 को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार (डिपॉजिटरी) लिमिटेड (एनएसडीएल) / सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज़ (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) से प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर/ प्राप्त लाभार्थी स्वामियों की सूची में उपलब्ध हैं. डाक मतपत्र के साथ नोटिस भेजने का कार्य 03 सितंबर 2018 को पूरा हो जाएगा.
- जिन सदस्यों ने कंपनी कार्य मंत्रालय की हरित पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक रूप में दस्तावेज़ प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल पता रजिस्टर करवाया है, उन्हें ईमेल द्वारा डाक मतपत्र की सूचना भेजी जा रही है और अन्य सदस्यों को डाक मतपत्र फॉर्म के साथ डाक/कूरियर द्वारा सूचना भेजी जा रही है.
- कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 एवं नियम 22 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के अनुसार, डाक मतपत्र सूचना में निर्दिष्ट कारोबार की मदों को डाक मतपत्र द्वारा पारित किया जाना है.
- जो सदस्य अपना मत इलेक्ट्रॉनिक रूप से देना चाहते हैं, उनके लिए बैंक कार्वी की ई-वोटिंग सुविधा प्रदान कर रहा है.
- बैंक ने डाक द्वारा मतदान प्रक्रिया को सही एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए सुश्री अपर्णा गाडगिल या उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं., कंपनी सेक्रेटरीज़ के किसी अन्य पार्टनर को संवीक्षक नियुक्त किया है.
- **सदस्य वोटिंग के लिए सिर्फ एक तरीके अर्थात् या तो भौतिक मतपत्र द्वारा या ई-वोटिंग का चुनाव कर सकते हैं. यदि सदस्य दोनों तरीकों से मतदान करते हैं तो ई-वोटिंग के जरिए किया गया मतदान प्रभावी होगा तथा भौतिक डाक मतपत्र के जरिए दिया गया वोट अवैध माना जाएगा.**
- भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के इच्छुक सदस्यों से अनुरोध है कि संलग्न डाक मतपत्र फॉर्म में छपे हुए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें. विधिवत रूप से भरे हुए डाक मतपत्र फॉर्म 03 अक्तूबर 2018 को शाम 5 बजे तक संवीक्षक के पास पहुँच जाने चाहिए. यदि कोई भी डाक मतपत्र फॉर्म उपर्युक्त समय और तारीख के बाद प्राप्त होता है तो उसे सदस्य से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, के रूप में माना जाएगा.
- डाक मतपत्र के परिणाम की घोषणा 05 अक्तूबर 2018 को या उससे पहले एमडी एवं सीईओ द्वारा की जाएगी तथा इसे बैंक की वेबसाइट www.idbi.com पर प्रदर्शित किया जाएगा और साथ ही कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 और 22 के अनुसार इसे कार्वी की

NOTES:

- Explanatory Statement pursuant to Section 102 of the Companies Act, 2013, in respect of the business specified in the Postal Ballot Notice is annexed hereto.
- The Notice is being sent to all Members, whose names appear on the Register of Members/List of Beneficial Owners as received from National Securities Depository Limited (NSDL)/Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as on August 24, 2018. The dispatch of notice alongwith Postal Ballot Form will be completed on September 03, 2018.
- Members who have registered their email ids for receipt of the documents in electronic mode under the Green Initiative of Ministry of Corporate Affairs, are being sent the Notice of Postal Ballot by email and others are being sent by post/courier along with the Postal Ballot Form.
- In terms of Section 110 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 and Rule 22 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules), the Item of Business set out in the Postal Ballot Notice is sought to be passed by Postal Ballot.
- The Bank is providing Karvy's e-voting facility to enable those Members to vote who wish to cast their votes electronically.
- The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or in her absence any other Partner of M/s S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the Postal Ballot and e-voting process in a fair and transparent manner.
- **The Members can opt for only one mode of voting, i.e., either by physical ballot or e-voting. In case Members cast their votes through both the modes, voting done by e-voting shall prevail and votes cast through physical postal ballot form will be treated as invalid.**
- Members desiring to exercise vote by physical postal ballot are requested to carefully read the instructions printed on the attached Postal Ballot Form. Duly completed Postal Ballot Form should reach the Scrutinizer not later than 5 p.m. on October 03, 2018. Any Postal Ballot Form received after this time and date will be treated as if the reply from the Member has not been received.
- The result of the Postal Ballot shall be declared by MD & CEO on or before October 05, 2018 and displayed on the Bank's website at www.idbi.com and shall also be displayed on the website of Karvy at https://evoting.karvy.com in terms of Rule 20

वेबसाइट https://evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.

- जिन सदस्यों को ईमेल द्वारा डाक मतपत्र सूचना प्राप्त हुई है और जो भौतिक स्वरूप में डाक मतपत्र फॉर्म के जरिए अपना मतदान करना चाहते हैं वे बैंक की वेबसाइट www.idbi.com से डाक मतपत्र फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं या बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रान्सफर एजेंट कार्वी कंप्यूटरशेयर प्रा. लि., कार्वी सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली वित्तीय जिला, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद-500032 - [टेलीफोन नंबर (040) 67162222), टोल फ्री नंबर 1800-345-4001, फ़ैक्स नंबर (040) 23420814, ई-मेल: einward.ris@karvy.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लि., ईक्विटी कक्ष, बोर्ड विभाग, 20वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 - (022-66552779/3336/3062/66194058) को लिखकर प्राप्त कर सकते हैं.
- संकल्प, यदि आवश्यक बहुमत द्वारा पारित हुआ तो, वह पूर्णतः भरे हुए डाक मतपत्र या ई वोटिंग के लिए विनिर्दिष्ट अंतिम तारीख अर्थात बुधवार, 03 अक्तूबर 2018 को पारित हुआ समझा जाएगा.
- ई-वोटिंग की प्रक्रिया एवं पद्धति निम्नानुसार होगी:

[क] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या कार्वी की ई-वोटिंग सेवा के लिए पंजीकृत नहीं है और जिनके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं हैं.

i. ई-मेल खोलें तथा अपनी क्लाईंट आईडी या फोलियो संख्या को पासवर्ड के रूप में प्रयोग करते हुए पीडीएफ फाइल खोलें अर्थात् 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf' को खोलें. उपर्युक्त पीडीएफ फ़ाइल में ई- वोटिंग के लिए आपका यूजर आईडी और पासवर्ड दिया .गया है. कृपया नोट करें यह पासवर्ड प्रारंभिक पासवर्ड है.

ii. यूआरएल https://evoting.karvy.com को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

iii. Shareholder "Login" पर क्लिक करें.

iv. ऊपर चरण (i) में उल्लिखित अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को प्रारंभिक पासवर्ड के रूप में डालें. "Login" पर क्लिक करें.

v. 'Password change' मेनु खुलेगा. इस पासवर्ड को अपनी पसंद के न्यूनतम 8 अंकों/ अक्षरों या इनसे युक्त नए पासवर्ड से बदलें. कृपया नया पासवर्ड नोट कर लें. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने में अत्यंत सावधानी बरतें.

vi. 'e-Voting' का होम पृष्ठ खुलेगा. "e-Voting"- Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

vii. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के Electronic Voting Event Number (EVEN) को सेलेक्ट करें.

viii. 'Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं. मतदान की अवधि **मंगलवार, 04 सितंबर 2018 को सुबह 9 बजे (भारतीय समय अनुसार) शुरू होगी और बुधवार, 03 अक्तूबर 2018 को**

and 22 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014.

- Members, who have received the Postal Ballot Notice by email and who wish to vote through physical Postal Ballot Form, can download Postal Ballot Form from the Bank's website www.idbi.com or by writing to Karvy Computershare Pvt. Ltd., RTA of the Bank, located at Karvy Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500032 [Tel.No.(040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No.(040) 23420814, E-mail : einward.ris@karvy .com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022- 66552779 /3062).
- The resolution, if approved by the requisite majority shall be deemed to have been passed on Wednesday, October 03, 2018, i.e., the last date specified for receipt of duly completed Postal Ballot Forms or e-voting.
- The process and manner of e-voting shall be as follows:

[A] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account / folio number has not been registered for e-voting services of Karvy and who do not have their existing user id and password.

i. Open e-mail and open PDF file viz; 'IDBI Bank Limited e-Voting.pdf ' with your Client ID or Folio No. as password. The said PDF file contains your user ID and password for e-voting. Please note that the password is an initial password.

ii. Launch internet browser by typing the URL: https://evoting.karvy.com

iii. Click on Shareholder "Login"

iv. Put your user ID and password as initial password noted in step (i) above. Click Login.

v. Password change menu appears. Change the password with new password of your choice with minimum 8 digits/characters or combination thereof. Please take note of the new password. It is strongly recommended that you do not share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

vi. Home page of "e-Voting" opens. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles.

vii. Select Electronic Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited.

viii. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens. Voting period commences on and from **Tuesday,**

शाम 5 बजे (भारतीय समय के अनुसार) समाप्त होगी.

ix. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें, 'Submit' पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर Confirm पर क्लिक करें.

x. पुष्टिकरण के बाद, "Vote Cast Successfully" संदेश प्रदर्शित होगा.

xi. यदि आपने कारोबार की मद(दों) पर एक बार मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

xii. संस्थागत सदस्यों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति evoting@karvy.com को भेजें.

[ख] बैंक के ऐसे सदस्यों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश जिनका डीमैट खाता/ फोलियो संख्या कार्वी की ई-वोटिंग सेवा के लिए पहले से ही पंजीकृत है.

i. यूआरएल https://evoting.karvy.com को टाइप करते हुए इंटरनेट ब्राउज़र खोलें.

ii. Shareholder "Login" पर क्लिक करें
अपनी यूजर आईडी तथा मौजूदा पासवर्ड डालें. (यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हों तो https:/evoting.karvy.com पर जाकर "Forgot User Details/ Password" विकल्प का प्रयोग करते हुए आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं.)

iii. "Login" पर क्लिक करें.

iv. "e-Voting" का होम पेज प्रदर्शित होगा. "e-Voting"- Active Voting Cycles पर क्लिक करें.

v. कारोबार की मद(दों) के पक्ष में या विपक्ष में अपना मत डालने के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के E-Voting Event Number (EVEN) को सिलेक्ट करें. (कृपया नोट करें कि एक बार मत डालने के बाद उसे संशोधित नहीं किया जा सकता). ईवीईएन के लिए, संकल्प पर वोट किए जाने तक या वोटिंग अवधि की अंतिम तिथि, अर्थात 03 अक्तूबर **2018 को शाम 5 बजे (भारतीय समय के अनुसार)** , जो भी पहले हो, की समाप्ति तक आप कार्वी के ई-वोटिंग प्लेटफॉर्म पर कितनी भी बार लॉग-इन कर सकते हैं. मतदान अवधि **मंगलवार, 04 सितंबर 2018 को सुबह 9 बजे (भारतीय समय के अनुसार) शुरू होगी और बुधवार, 03 अक्तूबर 2018 को शाम 5 बजे (भारतीय समय के अनुसार) समाप्त होगी.**

vi. "Cast Vote' के खुलते ही आप 'e-Voting' के लिए तैयार हैं.

vii. उपयुक्त विकल्प का चुनाव कर अपना मत दें, **"Submit"** पर क्लिक करें तथा प्रॉम्प्ट किए जाने पर **"Confirm"** पर क्लिक करें.

September 04, 2018 (9 a.m. IST) and ends on Wednesday, October 03, 2018 (5 p.m. IST).

ix. Cast your vote by selecting appropriate option and click on 'Submit' and also 'Confirm' when prompted.

x. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.

xi. Once you have voted on the item of business, you will not be allowed to modify your vote.

xii. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail: scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@karvy.com

[B] Instructions in respect of e-voting to Members of the Bank whose demat account/folio number has already been registered for e-voting services of Karvy.

i. Launch internet browser by typing URL: https://evoting.karvy.com

ii. Click on Shareholder - Login
Enter your User ID and existing password (*If you forgot your password, you can reset your password by using "Forgot User Details/Password" option available on https://evoting.karvy.com*)

iii. Click Login

iv. Home page of "e-Voting" appears. Click on "e-Voting" - Active Voting Cycles

v. Select E-Voting Event Number (EVEN) of IDBI Bank Limited for casting your vote in favour or against the Item of Business. (Kindly note that vote once cast cannot be modified). For an EVEN, you can log-in any number of times on e-voting platform of Karvy till you have voted on the resolution or till the end date of voting period, i.e., up to **5 p.m. (IST) of October 03, 2018**, whichever is earlier. Voting period commences on and from **Tuesday, September 04, 2018 (9 a.m. IST) and ends on Wednesday, October 03, 2018 (5 p.m. IST).**

vi. Now you are ready for 'e-Voting' as 'Cast Vote' page opens.

vii. Cast your vote by selecting appropriate option and click on **"Submit"** and also **"Confirm"** when prompted.

viii. यदि आपने संकल्प पर एक बार मत दे दिया है तो आपको अपना मत संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ix. संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (ओं) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ़, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी एक प्रति evoting@karvy.com को भेजें.

कृपया नोट करें कि:

- डाक मतपत्र अथवा ई वोटिंग प्लेटफॉर्म के जरिये मतदान करने वाले सदस्यों के लिए मतों के अधिकार **विनिर्दिष्ट तारीख (कट ऑफ डेट)** अर्थात **24 अगस्त 2018** की तारीख को बैंक की समादत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पॉच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध 'Forgot Password' के विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से 'e-Voting' के लिए किया जा सकता है जिनमें आप सदस्य हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे पूर्णतः गोपनीय रखें.
- सदस्यगण कृपया नोट करें कि ई-वोटिंग सुविधा बुधवार, 03 अक्तूबर 2018 की शाम 5.00 (भारतीय समय के अनुसार) बजे ब्लॉक कर दी जाएगी.

viii. Once you have voted on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

ix. Institutional shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI, etc.) are also required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/Authority letter, etc., together with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer through e-mail at **scrutinizer@snaco.net** with a copy marked to **evoting@karvy.com**

Please note that:

- The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the **cut-off date of August 24, 2018** for Members voting by Postal Ballot Form or on e-voting platform.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolution placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that the e-voting facility shall be blocked forthwith on Wednesday, October 03, 2018 at 5 p.m. (IST).

सूचना का उपाबंध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के निबंधनों के अनुसार डाक मतपत्र

सूचना में दिए गए विशेष कारोबार के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने अपने दिनांक 28 अगस्त 2018 के पत्र द्वारा अधिमान्य आधार पर इक्विटी शेयरों के अभिदान के लिए अपने सैद्धांतिक अनुमोदन की सूचना दी है, बशर्ते कि निर्गम के पश्चात बैंक की प्रदत्त पूंजी में किसी भी समय उनका कुल एक्सपोजर 14.90% से अधिक न हो. इस संबंध में 28 अगस्त 2018 को स्टॉक एक्सचेंज में आवश्यक प्रकटन कर दिया गया था. तदनुसार यह प्रस्ताव है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 62 (1) (सी) के तहत सुसंगत तारीख 03 सितंबर 2018 को परिकलित की जाने वाली कीमत पर भारतीय जीवन बीमा निगम को प्रत्येक 10/- रुपये मूल्य के इक्विटी शेयरों को ऐसी संख्या में प्रस्तावित, निर्गमित और आबंटित करने के लिए शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त किया जाए कि वह निर्गम पश्चात बैंक की प्रदत्त पूंजी का सकल 14.90% (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) तक हो. सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अध्याय VII के प्रावधानों के अनुसार शेयरधारकों द्वारा संकल्प को पारित करने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर अथवा भारत सरकार और/ या अन्य वैधानिक/ विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन, यदि कोई हो, के मिलने के 15 दिन के भीतर, इनमें से जो भी बाद में हो, शेयरों का अंधिमान्य आबंटन पूरा हो जाना चाहिए. इसके अलावा, सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 के खड 73 के अतंर्गत अधिमान्य आबंटन से संबंधित विशेष प्रकटनों का उल्लेख शेयरधारकों को भेजे जा रहे नोटिस के साथ उपाबद्ध व्याख्यात्मक विवरण में किया जाना है जो कि शेयरधारकों की जानकारी के लिए यहाँ नीचे दिए जा रहे हैं:

अधिमान्य निर्गम का उद्देश्य	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की पूंजी पर्याप्तता की गणना करते हुए इसमें वृद्धि करना.
ऑफर में अभिदान करने के लिए प्रवर्तकों, निदेशकों या निर्गमकर्ता के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का प्रस्ताव	ऑफर में अभिदान करने के लिए निदेशकों या निर्गमकर्ता के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का कोई प्रस्ताव नहीं है. प्रस्तावित अधिमान्य आबंटन एलआईसी को, इस संबंध में दिनांक 28 अगस्त 2018 के उनके पत्र अनुसार किया जा रहा है. निर्गम के बाद बैंक की प्रदत्त पूंजी में उनका सकल शेयर 14.90% तक हो जाएगा.
सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 के अनुसार सुसंगत तारीख व परिकलित कीमत	सुसंगत तारीख 03 सितंबर 2018 है (अर्थात विशेष संकल्प पारित करने की तारीख 03 अक्तूबर 2018 से 30 दिन पहले). उक्त सुसंगत तारीख के अनुसार मूल्य का परिकलन किया जाएगा.

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory Statement in respect of Special Business given in the Postal Ballot Notice in terms of Section 102 of the Companies Act, 2013

Life Insurance Corporation of India(LIC) has,vide letter dated August 28, 2018, conveyed their in-principle approval for subscription of equity shares on preferential basis subject to their total exposure not exceeding 14.90% of Post Issue Paid-up Capital of the Bank at any point of time. Necessary disclosure was made to Stock Exchanges in this regard on August 28, 2018. Accordingly, it is proposed to obtain shareholders' approval under section 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to offer, issue and allot such number of equity shares of ₹ 10/- each, at a price to be calculated with reference to the Relevant Date of September 03, 2018, to LIC aggregating upto 14.90% of the post issue paid-up capital of the Bank (inclusive of premium amount, if any) on Preferential Allotment basis. In terms of the provisions of chapter VII of SEBI (ICDR) Regulations, 2009, the Preferential Allotment of shares is required to be completed within a period of 15 days from the date of passing of resolution by the shareholders or within 15 days of getting approval of statutory/ regulatory authority, if any, whichever is later. Moreover, specific disclosures relating to the Preferential Allotment as prescribed under clause 73 of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 to be made to the shareholders in the Explanatory Statement annexed to the Shareholders' notice are submitted here-in-below for information of the shareholders:

The objects of the Preferential Issue	To augment the capital adequacy of the Bank computed in terms of the guidelines issued by Reserve Bank of India from time to time.
The proposal of the Promoters, Directors or Key Managerial Personnel of the Issuer to subscribe to the offer	There is no proposal of the Promoters, Directors or Key Managerial Personnel of the Issuer to subscribe to the offer. The proposed preferential allotment is being made to LIC aggregating upto 14.90% of the Bank's post issue paid up capital in terms of their letter dated August 28, 2018 received in this regard.
Relevant date and the price computed as per SEBI (ICDR) Regulations, 2009	The Relevant Date is September 03, 2018 (i.e. 30 days before the date of passing of special resolution on October 03, 2018). The price will be calculated with reference to the said Relevant Date.

अधिमान्य निर्गम से पहले और बाद में निर्गमकर्ता की शेयरधारिता का स्वरूप.	**अधिमान्य निर्गम से पहले आईडीबीआई बैंक लि. की शेयरधारिता का स्वरूप :** **शेयरों की सं. प्रतिशत** प्रवर्तक (भारत सरकार) 3594165335 85.96 एलआईसी 333722672 7.98 अन्य 253301338 6.06 कुल 4181189345 100.00 **अधिमान्य निर्गम के बाद आईडीबीआई बैंक लि. की शेयरधारिता का स्वरूप** आईडीबीआई बैंक लिमिटेड से संबन्धित अधिमान्य निर्गम पश्चात शेयरधारिता स्वरूप के बारे में निर्णय सुसंगत तारीख 03 सितंबर 2018 के अनुसार मूल्य के परिकलन के बाद किया जाएगा तथा शेयरधारकों को इसकी सूचना 04 सितंबर 2018 को समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से और वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दी जाएगी, क्योंकि उक्त के बारे में निर्णय 31 अगस्त 2018 को डाक मतपत्र सूचना जारी करने के बाद लिया जाएगा.
समय-सीमा जिसके भीतर अधिमान्य निर्गम का कार्य पूरा कर लिया जाएगा.	अधिमान्य निर्गम का कार्य विशेष संकल्प पारित होने से 15 दिन के भीतर अर्थात् 03 अक्तूबर 2018 से 15 दिन के भीतर अथवा अधिमान्य निर्गम के संबंध में भारत सरकार तथा/ किसी अन्य सांविधिक / विनियामक प्राधिकरण से अनुमोदन, यदि कोई हो, के प्राप्त होने से 15 दिन के भीतर, जो भी बाद में हो, पूरा कर लिया जाएगा.
प्रस्तावित आंबटितियों की पहचान, उनके द्वारा धारित की जाने वाली निर्गम पश्चात अधिमान्य धारिता का प्रतिशत और अधिमान्य निर्गम के परिणामस्वरूप निर्गमकर्ता के नियंत्रण में बदलाव, यदि कोई हो.	ये शेयर एलआईसी को आबंटित करने का प्रस्ताव है. अधिमान्य निर्गम के बाद आईडीबीआई बैंक के नियंत्रण में कोई बदलाव नहीं होगा.
इस आशय का वचन कि इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार जहां भी जरूरी होगा, निर्गमकर्ता विशिष्ट प्रतिभूतियों के मूल्य की पुनर्गणना करेगा.	लागू नहीं, क्योंकि बैंक के शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में छब्बीस सप्ताह से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं.
इस आशय का वचन कि यदि मूल्य की पुनर्गणना के आधार पर राशि का भुगतान इन विनियमों में निर्दिष्ट समय-सीमा	लागू नहीं, क्योंकि बैंक के शेयर मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में छब्बीस सप्ताह से अधिक समय से सूचीबद्ध हैं.

The shareholding pattern of the Issuer before and after the Preferential Issue.	**Pre Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd.** No.of Shares %age Promoters (GoI) 3594165335 85.96 LIC 333722672 7.98 Others 253301338 6.06 Total 4181189345 100.00 **Post Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd.** The Post Preferential Issue Shareholding Pattern of IDBI Bank Ltd. will be determined after calculation of price with reference to the Relevant Date of September 03, 2018 and will be informed to the Shareholders through Newspaper Advertisement on September 04, 2018 and by displaying on the website as the same will be determined after issue of Postal Ballot Notice on August 31, 2018.
The time within which the Preferential Issue shall be completed	The Preferential Allotment shall be completed within 15 days from the date of passing of Special Resolution, i.e., within 15 days from October 03, 2018 or within 15 days of the receipt of approval, if any, from any statutory/ regulatory authority in respect of Preferential Issue of Equity, whichever is later.
The identity of the proposed allottees, the percentage of post preferential issue capital that may be held by them and change in control, if any, in the Issuer consequent to the preferential issue.	The shares are proposed to be allotted to LIC. Consequent to the Preferential issue, there will not be any change in control of IDBI Bank.
An undertaking that the Issuer shall re-compute the price of the specified securities in terms of the provisions of these regulations where it is required to do so.	Not Applicable, as the shares of the Bank have been listed on a recognized stock exchange for more than twenty six weeks.

के भीतर नहीं किया जाता है तो विशिष्ट प्रतिभूतियों को आबंटितियों द्वारा इनकी राशि का भुगतान करने तक लॉक्ड-इन रखा जाएगा	
सांविधिक लेखा परीक्षकों के प्रमाण पत्र की एक प्रति शेयरधारकों की महासभा में रखना जिसमें यह प्रमाणित करने पर विचार किया जाएगा कि प्रस्तावित अधिमान्य निर्गम इन विनियमों में की गई अपेक्षाओं के अनुसार किया जा रहा है.	अधिमान्य निर्गम के लिए कीमत की गणना सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2009 की धारा 76(4) के तहत सुसंगत तारीख 03 सितंबर 2018 के अनुसार की जाएगी (डाक मतपत्र के अंतर्गत मतदान पूरा होने से 30 दिन पहले अर्थात 03 अक्तूबर 2018, जो कि विशेष संकल्प पारित किए जाने की तारीख भी मानी गई है) उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में सेबी (आईसीडीआर) विनियम 2009 की धारा 73(2) के अंतर्गत अपेक्षित लेखा-परीक्षक का प्रमाणपत्र सुसंगत तारीख 03 सितंबर 2018 के बाद जारी किया जाएगा तथा यह डाक मतपत्र के तहत वोटिंग की प्रक्रिया पूरी करने की तारीख तक किसी भी कार्यदिवस को पूर्वाह्न 11.00 बजे अपराह्न 3.00 बजे के बीच बैंक के पंजीकृत कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा. लेखा परीक्षक का प्रमाणपत्र बैंक की वेबसाइट www.idbi.com और कार्वी की वेबसाइट- https://evoting.karvy.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा.
निर्गम की राशि	उक्त इक्विटी शेयर भारतीय जीवन बीमा निगम से नकद राशि की प्राप्ति पर जारी किये जाएंगे.

निदेशक मंडल द्वारा इस संबंध में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके उपर्युक्त प्रयोजन के लिए शेयरधारकों के अनुमोदन की मांग की जाती है.

बैंक का कोई भी निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी बैंक में अपनी शेयरधारिता, यदि कोई है, की सीमा के सिवाय उपर्युक्त संकल्प को पारित करने में, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में, वित्तीय या अन्य रूप में, संबद्ध या हितबद्ध नहीं हैं.

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
(बी. श्रीराम)
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन 02993708

पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
दिनांक: 31 अगस्त 2018

An undertaking that if the amount payable on account of the re-computation of the price is not paid within the time stipulated in these regulations, the specified securities shall continue to be locked in till the time such amount is paid by the allottees.	Not Applicable, as the shares of the Bank have been listed on a recognized stock exchange for more than twenty six weeks.
To place a copy of the certificate of statutory auditors before the general meeting of the shareholders, considering the proposed preferential issue certifying that the issue is being made in accordance with the requirements of these regulations.	The price for Preferential Issue will be computed under clause 76(4) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 with reference to the Relevant Date of September 03, 2018 (30 days prior to the date of completion of voting under Postal Ballot, i.e., October 03, 2018 also deemed to be the date of passing the Special Resolution) In view of the above, Auditors' Certificate required under clause 73(2) of the SEBI (ICDR) Regulations, 2009 will be issued after the Relevant Date of September 03, 2018 and will be made available for inspection at the Registered Office of the Bank between 11 a.m. and 3 p.m. on any working day upto the date of completion of voting under Postal Ballot. The Auditor's Certificate will also be displayed on the website of the Bank – www.idbi.com and website of Karvy- https://evoting.karvy.com
Consideration for the Issue	The equity shares will be issued against receipt of consideration in cash from LIC.

The shareholders' approval is sought by Board of Directors for the above purpose by passing a Special Resolution in this regard.

None of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of aforesaid Special Resolution except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.

Dated: August 31, 2018

By Order of the Board,
For IDBI Bank Limited

(B. Sriram)
MD & CEO
DIN 02993708